**रजिस्टर्ड/सील्ड**

**उत्तर प्रदेश शासन**

**कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2**

**संख्या-64/2019/1364/22-2-2019-17(129)/2013**

**लखनऊ: दिनांक: 04 जून, 2019**

**आदेश**

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, बरेली** के सिद्धदोष **बन्दी गंगाराम (बन्दी संख्या-47482) पुत्र श्री बदलू, जो-भिखनापुर रामशाला, थाना-संधना, जनपद-सीतापुर** का रहने वाला है, जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-120/1979** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-302/34, 323/34** के अधीन **दिनांक 13.06.1980** को **मा0 सत्र न्यायाधीश, सीतापुर** द्वारा **आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित** किया गया, की 20 वर्ष 00 माह 23 दिन काटी गयी अपरिहार सजा, संतोषजनक जेल आचरण एवं जिला मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गयी रिहाई की संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं] तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए **जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

**संख्या-64/2019/1364(1)/22-2-2019 तद्दिनांक ।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
3- पुलिस अधीक्षक, सीतापुर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in